

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- आ.से.के. - खार, महेचान

प्रकरण सं:- 189/2018


क्रमांक:-लो.अदा./2018/1418

दिनांक:-..... 12-6-18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जुना भीठा खेडा व
 मू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार
 सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
 के अनुसरण में ग्राम झीन्झणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत्
2015-16 में खाता संख्या 21 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
 जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	झीन्झणी	21	623	मोरो पाली डी कुमा	मोरो केवर पाली डी कुमा सिंह शीघ बपुस्तर


 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
 दिनांक:- 12-6-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1419-1421

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्रीमान मोरो केवर निवासी झीन्झणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी